केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय,राँची
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, REGIONAL OFFICE, RANCHI
(An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India)
के.वि .नामकुम परिसर, नामकुम राँची, झारखंड-834010
KV Namkum Campus, Namkum, Ranchi, Jharkhand-834010
09102992109 (DC) ,09102992107(AC), 09102992108(FO)
E-mail: dcroranchi@gmail.com,acroranchi@gmail.com
aororanchi@gmail.com,fororanchi@gmail.com
Website: https://roranchi.kvs.gov.in/

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

F. 40058/के.वि.सं./क्षे.का./रांची/व.वे./2026-27/ 17224-304

दिनांक: 14.08.2026
Speed Post/E-mail

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 20/22.07.2026 को आयोजित हुई एवं समिति की संस्तुति के आधार पर इस संभाग के केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान उनके नाम के सामने कॉलम संख्या - 6 में दर्शाये गए तिथि से स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

Sl. No	Name of the employee	Designation	KV where working	Date of joining in the present post	Dt. on which Sr. Scale due/ Granted
1	2	3	4	5	6
TGT-02 Case (Rs. 9300-34800 + G.P. Rs.4800/-) as per 7 CPC Pay Level-8 in Pay Matrix.					
1	Sanjay Kumar Keshri	TGT (Maths)	No.3 Bokaro	05.05.2014	05.05.2026
2	Neelam Toppo	TGT (S.St.)	Jamtara	01.01.2014	01.01.2026
HM- 01 (Rs. 9300-34800 + G.P. Rs.4800/-) as per 7 CPC Pay Level-8 in Pay Matrix					
1.	Manish Kumar Jha	HM	No.1 Dhanbad	08.05.2014	08.05.2026
2.	R. Rashmi Minz	HM	CRPF,Ranchi	08.08.2013	08.08.2025

14.08.2026
(एस.वी.जोगलेकर)
उपायुक्त

वितरण:-

1. संबन्धित कर्मचारीगण उक्त आदेश जारी होने के एक माह के अंदर वेतन निर्धारण के लिए विकलप प्रस्तुत करें | एक बार प्रस्तुत किया गया विकलप पत्र अंतिम होगा |

.....P/2

2. संबन्धित प्राचार्यगण :- संबन्धित कर्मचारी के सेवा पुस्तिका मे प्रविष्ट करें एवं आदेश की प्रति व्यक्तिगत पत्रावली में रखे | संबन्धित कर्मचारी का वेतन निर्धारण हेतु सेवा पुस्तिका के साथ प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करें | यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण हो गया हो तो आदेश की प्रति संबन्धित विद्यालय को भेजे साथ ही यदि आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत होती है तो उसको आवश्यक दस्तावेज के साथ इस कयालय को सुधार / संशोधन हेतु भेजे|
3. संयुक्त आयुक्त (प्रशासनिक) के.वि.सं (मु.) नई दिल्ली को सूचनार्थ |
4. उपायुक्त, के.वि.सं.,समस्त क्षे.का. / आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र |
5. वित्त अधिकारी, के.वि.सं.,राँची संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु |
6. मान्यता प्राप्त संघों के महासचिव/अध्यक्ष को सूचनार्थ |
7. गार्ड फ़ाइल |

14.08.2018

(एस.वी.जोगलेकर)

उपायुक्त